राजस्थान विधान सभा

षष्ठम् सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 17 फरवरी, 2011

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनायें

उद्योग विभाग

I- श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री, उद्योग विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- अधिसूचना संख्या: आरएफसी/एफपीए-23(14) दिनांक 1 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेग्यूलेशन, 1958 में कतिपय संशोधन किये गये हैं ; एवं

2- अधिसूचना संख्या: आरएफसी/एफपीए-23(2) दिनांक 1 जनवरी, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम के कर्मचारियों को मिलने वाली सेवानिवृत्त व मृतक गेच्युटी की अधिकतम राशि में संशोधन किया गया हैं ।

II - श्री महिपाल मदेरणा, जल संसाधन मंत्री, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग की अधिसूचना संख्या: 6/पीएमयू/आरएफपीएम/सीएडी/02 दिनांक 9 जून, 2010 जिसके द्वारा राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्ध में कृषिकों की सहभागिता नियम, 2002 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखेंगे ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

I- श्री शांती कुमार धारीवाल, गृह मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद-323(2) के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 ; एवं

(2) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा-35 की उपधारा- 4 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वित्तीय लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 से 2006-2007.

..2..

II - श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 32वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 ;

2- दी वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन एक्ट, 1962 की धारा 31(II) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 ; एवं

3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 40वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009.

III - श्री राजेन्द्र पारीक, उद्योग मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत हाईटेक प्रसीजन ग्लास लिमिटेड, जयपुर के वार्षिक लेखे वर्ष 2009-2010;

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड़, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 ;

3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अन्तर्गत मैसर्स सांभर साल्ट्स लिमिटेड़ का 45वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 ; एवं

4- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का 5वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010.

IV - डॉ. जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखेंगे :-

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) के अंतर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ का नवां वार्षिक प्रतिवेदन व लेखे वर्ष 2008-2009 ; एवं

2- विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-104(4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के वर्ष 2003-2004 के लेखों की ऑडिट रिपोर्ट एवं उस पर टिप्पणी।

V - श्री महिपाल मदेरणा, जल संसाधन मंत्री, राजस्थान जल विकास निगम के मैमोरेन्डम ऑफ आर्टिकल के नियम-114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड़, जयपुर का 26वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे ।

VI - श्री प्रमोद भाया, सार्वजनिक निर्माण मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-(ए) (3) के अंतर्गत राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेन्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2009-2010 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।"

4. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद

(1) डॉ. रघु शर्मा(वि.सं.-137), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जावे :-

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं ।"

(2) श्री अलाउद्दीन आजाद (वि.सं.-13), सदस्य विधान सभा प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

(संशोधन यदि कोई होंगे, तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

एच.आर. कुड़ी
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 15 फरवरी, 2011